निविदा विज्ञप्ति

पुलिस लाईन्स जनपद–मिर्जापुर में प्रशिक्षुओं के आर0टी0सी0 जलपान **कैण्टीन** के विक्रेताओं हेतु इच्छुक/ अनुभवी कैण्टीन संचालकों/ व्यक्तियों से दिनांक 17.06.2025 से प्रशिक्षण समाप्ति तक के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है। अपेक्षा की जाती हैं कि इच्छुक व्यक्ति अपना निविदा बन्द लिफाफा में दिनांक–14-06-2025 को 12.00 मध्यांन्ह तक पुलिस लाईन्स, मिर्जापुर के कार्यालय में डाले जायेगे। टेण्डर तद्‌दिनांक को अपरान्ह 02.00 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा उसके द्वारा नामित किसी राजपत्रित **अधिकारी के समक्ष टेण्डर खोला जायेगा। टेण्डर फार्म किसी भी कार्यालय दिवस में** प्रातः10.00 बजे से सायंकाल 05.00 तक प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाईन्स, मीरजापुर के कार्यालय से रू0–100/–नकद देकर प्राप्त कर सकते है। विस्तृत विवरण के लिये प्रतिसार निरीक्षक, मिर्जापुर के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। विज्ञप्ति से सम्बंधित शर्ते पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक–यथोपरि।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
मीरजापुर

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद मीरजापुर

पत्र संख्याःक–536/2025 | दिनॉकःजून, 9 ,2025

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध सहित कि निविदा विज्ञप्ति की सूचना को अपने यहां के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने एवं इसके प्रचार–प्रसार कराये जाने हेतु प्रेषित है।

01– जिलाधिकारी मिर्जापुर मिर्जापुर।
02– संस्था प्रमुख, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, चुनार, मीरजापुर।
03– क्षेत्राधिकारी लाईन्स, मीरजापुर को सूचनार्थ।
04– प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाईन्स, मिर्जापुर को निविदा विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार–प्रसार करने एवं स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन कराने तथा नोटिस बोर्ड पर लगाने हेतु प्रेषित है।
05– प्रधान लिपिक/आंकिक, पुलिस कार्यालय, मिर्जापुर ।

निविदा की शर्ते

1— ठेकेदार निविदा होने के उपरान्त आर0टी0सी0 समाप्ति तक ठेके की धनराशि रू0—15000/—............अनुपातिक धनराशि तत्काल अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आंकिक के यहां जमा करेगें। इस जमा की जाने वाली राशि में अग्रिम ठेके की जमानती रू0 750/— का समायोजन कर लिया जायेगा।

2— ठेकेदार की स्वीकृत टेण्डर में अंकित धनराशि प्रशिक्षार्थी पर माह जून 2025 से प्रत्येक आगामी माह के लिये सम्बन्धित माह की 05 तारीख तक प्रतिमाह अग्रिम के रूप में जमा करना होगा।

3— ठेकेदार को उक्त ठेके की उक्त रिबेट धनराशि के अतिरिक्त निम्नलिखित धनराशि प्रतिमाह अग्रिम के रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आंकिक के पास जमा करना होगा।

1— कैण्टीन (मकान किराया)—	रू0 15000/— प्रतिमाह
2— जलकर	रू0 50/— प्रतिमाह
3— बिजली चार्जेज	मीटर के रीडिंग के अनुसार प्रतिमाह जमा करना होगा
4— रिक्रेशन फण्ड—	रू0 10/— प्रतिमाह
5— सफाई शुल्क—	रू0 20/— प्रतिमाह

4— ठेकेदार दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता की बिक्री हेतु रखेगा, जिसमें निम्नलिखित वस्तुयें सम्मिलित होंगी ।
जलेबी, नमकीन की सेव, अन्य नमकीन, चाय, मिठाईयां डबल टोस्ट, मक्खन, कच्चा दूध, दही, छाछ, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, वाटर बर्फ, अण्डा, जैम, बिस्किट, फल/जूस रखेगा।

5— कैण्टीन में बेची जाने वाली वस्तुएं शुद्व व स्वच्छ एवं गुणवत्ता बनाये रखना होगा।

6— अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदन के पश्चात ठेकेदार कैण्टीन में स्वच्छता, सजावट, बैठने आदि से सम्बन्धित आवश्यक प्रबन्ध करने के लिये बाध्य होगा।

7— कैण्टीन कक्ष तथा उसके आस—पास किसी प्रकार का कोई निर्माण अथवा परिवर्तन अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के बिना नहीं करेगा।

8— कैण्टीन के माध्यम से किसी अधिकारी/कर्मचारी का व्यक्तिगत कच्चा व पक्का सामान किसी भी रूप में नहीं बेचेगा।

9— कैण्टीन में कोई भी नसीली वस्तु, पदार्थ, तस्करी का सामान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक वस्तुएं नहीं बेचेगा।

10— कैण्टीन के लिए कोई राशन का सामान पुलिस लाईन्स से नहीं दिया जायेगा।

11— कैण्टीन में कोई रोगग्रस्त एवं नावालिग बच्चा नौकर के रूप में नहीं रखा जायेगा।

12— कैण्टीन खुली होने पर किसी भी समय संस्था के कोई भी राजपत्रित अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना दिये कैण्टीन का निरीक्षण कर सकते है।

13— कैण्टीन वस्तुओं के मूल्य संबंधित सूची ऐसे स्थान पर लगायी जाय, जहॉ पर आसानी से पढ़ा एवं देखा जा सके।

14— कैण्टीन का कोई सामान किसी भी स्थिति में स्थानीय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक दर पर नहीं बेची जायेगी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा मनोनीत एक कमेटी द्वारा प्रतिमाह बाजार से जांच करके विभिन्न वस्तुओं का भाव(दर) प्राप्त किया जायेगा। कमेटी की रिपोर्ट मानने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।

15— कैण्टीन का ठेकेदार, ठेका किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता हैं।

16— ठेकेदार यदि अनुबन्ध की शर्तो का पालन नहीं करता हैं या कोई खराब वस्तु बेचता हैं या प्रचलित बाजार दर से अधिक दर में बेचने की शिकायत होती हैं या किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करता हैं, प्रचलित नियमों को तोड़ता हैं, तो अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार के विरूद्व रू0 2000.00 तक का जुर्माना कर सकते हैं, किन्तु गम्भीर प्रकरणों में सिद्व होने पर ठेका को बिना सूचना के निरस्त कर सकतें हैं।

17— निविदा किसी विषम परिस्थितियों अथवा किसी कारणवश अधोहस्ताक्षरी निरस्त कर सकता है, इसके लिये कारण बताने के लिये अधोहस्ताक्षरी बाध्य नहीं होगा ।

18— निविदा में ठेका होने के पश्चात किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय अधोहस्ताक्षरी का मान्य होगा एवं किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही ठेकेदार नही करेगा ।

19— निविदा में ठेका होने के पश्चात किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर विषम परिस्थितियों में न्यायिक कार्यवाही जनपद स्तर से करायी जायेगी ।

20— इस अनुबन्ध पत्र के अनुसार कैण्टीन का ठेका दिनांक:.17.06.2025 से आर0टी0सी0 प्रशिक्षण समाप्ति तक मान्य होगा। अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताओ नोटिस दिये उक्त अवधि के अन्दर एक माह की नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकते हैं। ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि नोटिस प्राप्ति के एक माह के अन्दर वस्तुओं का विकी बन्द करते हुये मकान खाली कर देगा।